2025:CGHC:42032-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र . 655/2025

धनेश राम ध्रुव उर्फ़ गुरुजी, पिता देवल सिंह ध्रुव, आयु लगभग 52 वर्ष, ग्राम सेमहारा, रावणदिग्गी पुलिस थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना अधिकारी, पुलिस स्टेशन मैनपुर, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

2– एन. आई. ए., द्वारा पुलिस अधीक्षक, एनआईए, रायपुर शाखा, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।(माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 04–04–2025 के अनुसार पक्षकार को जोड़ा गया)

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिएः	:	श्री जितेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता।
उत्तरवादी/एन. आई. ए. के लिए	:	श्री श्री बी. गोपा कुमार सहित इस्माइल शेख, अधिवक्तागण।

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

न्यायपीठ पर पारित निर्णय

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

20.08.2025

1. राष्ट्रीय जांच अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (संक्षेप में, 'एनआईए अधिनियम') की धारा 21(4) के अंतर्गत यह दाण्डिक अपील विशेष/सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छग) द्वारा पुलिस स्टेशन मैनपुर, जिला गरियाबंद (छग) में पंजीकृत अपराध संख्या 94/2023 से उद्भूत विशेष सत्र परीक्षण संख्या 03/2024 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.02.2025 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120–बी, 121, 121–ए, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 20, 23, 38, 39, 40, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5 और 6 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 (संक्षेप में, 'शस्त्र अधिनियम') की धारा 25 और 27 के तहत अपराध के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बीएनएसएस') की धारा 483 के तहत जमानत की याचना हेतु प्रस्तुत आवेदन को गुणदोष से रहित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण , संक्षेप में, यह है कि दिनांक 17.11.2023 को लगभग 3:40 बजे मतदान के समापन के बाद, मृतक, आईटीबीपी कांस्टेबल जोगेंद्र कुमार, सुरक्षा बल के साथ लौट रहे थे। जब वे बड़ेगोबरा के पास पहुँचे, तो जान से मारने की नीयत से एक साशय बम विस्फोट किया गया। उक्त बम विस्फोट के परिणामस्वरूप, कांस्टेबल जोगेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना और शिकायत के आधार पर, संबंधित पुलिस थाने ने उपरोक्त अपराधों के लिए वर्तमान अपीलार्थी सहित आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी निर्दोष है। वह सेवक है और प्रधानाध्यापक के पद पर काम कर रहा है और कथित अपराधों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है।उसे केवल संदेह के आधार पर वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध उक्त घटना से संबंधित कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। अपीलार्थी के घर से कोविड–19 के संबंध में लेख अर्थात एक साहित्य (पुस्तिका) के साथ–साथ एक पेपर (पर्चा) बरामद किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि घटना के एक साल बाद, पुलिस याचिकाकर्ता के घर गई और उसे वर्तमान प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। अपीलार्थी को किसी भी विधिविरुद्ध गतिविधि से जोड़ने वाले कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज या सामग्री बरामद नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी अपने कुटुंब का एकमात्र कमाने वाला है और उसके लंबे समय तक कारावास में रहने से उसके परिवार के सदस्यों को अपूरणीय कठिनाई हो रही है, जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपीलार्थी ने प्रचलित अन्वेषण और विचारण कार्यवाही में पूरा सहयोग करने का वचन दिया है। अपीलार्थी पर्याप्त प्रतिभूति जमा करने के लिए तैयार है और इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा। उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखने का निवेदन करते हुए और न्याय के हित में, अपीलार्थी ने विनम्रतापूर्वक जमानत देने के लिए प्रार्थना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, एन. आई. ए./उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री बी. गोपा कुमार ने जमानत देने के अनुरोध का जोरदार विरोध किया और तर्क दिया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य उसकी सक्रिय भागीदारी

और नक्सल अभियानों में भागीदारी को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण आतंकवाद के एक जघन्य और गंभीर कृत्य अर्थात् दिनांक 17.11.2023 को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों द्वारा चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मचारियों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट के कृत्य से उत्पन्न हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आई. टी. बी. पी. के एक सिपाही की मृत्यु हो गई थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने उक्त आतंकवादी कृत्य के लिए रसद, सामग्री और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्वेषण के दौरान, यह स्थापित किया गया है कि धनेश राम ध्रुव उर्फ़ गुरु जी/अपीलार्थी का संबंध आरोपी–माओवादी गणेश उईके, रामदास और सत्यम गावडे से है। अपीलार्थी ने प्रतिबंधित संगठन सीपीटी (माओवादी) के दलों के साथ षड़यंत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत आठ साक्षियों के कथन दर्ज किए गए थें, जिसमें उन्होंने अपीलार्थी के सीपीआई माओवादियों के साथ अंतर्लिप्तता होने के बारे में कथन किया है और यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने उनकी बैठक में भाग लिया था और सीपीआई (माओवादी) के दलों को रसद और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा, अपीलार्थी और अन्य सह–अभियुक्तों, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, के विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है और अन्य सह–अभियुक्त व्यक्तियों की जमानत याचिका को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील क्र.318/2025 में दिनांक 21/07/2025 को रद्द कर दिया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि एन. आई. ए. की विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य और पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा समर्थित पाते हुए जमानत को उचित रीती से रद्द किया है। अपराध की गंभीरता, आरोपों के गुरुत्व और विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(निवारण) अधिनियम के तहत वैधानिक प्रतिबंध के आलोक में, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा दायर दाण्डिक अपील रद्द किये जाने योग्य है।

5. उत्तरवादी/एन. आई. ए. के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है:

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विरुद्ध जहूर अहमद शाह वटाली, (2019) 5 एस. सी. सी. 1,

संजय चंद्र विरुद्ध सी. बी. आई. (2012) 1 एस. सी. सी. 40,

अफजल खान @बाबू मुर्तुजखान पठान विरुद्ध गुजरात राज्य, (2009) 3 एस. सी. सी. 499

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा सी. बी. आई. विरुद्ध अमरमणि त्रिपाठी, (2005) 8 एस. सी. सी. 21,

गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, दाण्डिक अपील संख्या 704/2024

मोहम्मद नैनार बनाम केरल राज्य, 2011 सी. आर. एल. जे. 1729,

तसलीम बनाम केरल राज्य, 2016 (1) के. एल. टी. 721।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, ऊपर दिए गए उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

7. इस स्तर पर, विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43 घ (5) को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जिसे सुलभ संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "43 घ(5)–संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या अपने ही बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :
>
> परंतु ऐसा अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर या अपने ही बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा यदि न्यायालय की केस डायरी या संहिता की धारा 173 के अधीन दी गई रिपोर्ट के परिशीलन पर यह राय है कि वह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग प्रथमदृष्ट्या सही है।"

8. विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 43 घ (5) के एक सामान्य अवलोकन से ज्ञात होगा है कि यह उपबंध अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत आरोपित अभियुक्त व्यक्ति, जो आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों से संबंधित है, को जमानत देने पर एक विशिष्ट वैधानिक प्रतिबंध अधिरोपित करता है। इस धारा में अधिदेशित किया गया है कि जब तक न्यायालय को केस डायरी या अभियोग पत्र के अवलोकन उपरांत यह समाधान न हो जाये कि इस हेतु कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके विपरीत, जहां यह मानने के लिए युक्तियुक्त आधार उपलब्ध हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, वहां धारा 43 घ (5) के तहत प्रतिबंध पूर्णतया लागू होता है, और न्यायालय को ऐसे आरोपी को जमानत देने से प्रतिबंधित किया गया है। विधायी मंशा स्पष्ट हैः आतंकवाद से संबंधित अपराधों से जुड़े मामलों में, सामान्य आपराधिक मामलों की तुलना में जमानत की सीमा काफी अधिक है। इस उपबंध के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। तथापि, यह धारा हर परिस्थिति में जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है। न्यायिक निर्णय, विशेष रूप से **जहूर अहमद शाह वटाली** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट करता है कि जमानत पर विचार करने के चरण में, न्यायालय को अभियोजन पक्ष के प्रकरण के गुण–दोष की जांच नहीं करनी चाहिए, अपितु केवल यह पता लगाना चाहिए कि क्या आरोप प्रथम दृष्टया अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों द्वारा समर्थित हैं।

9. **मोहम्मद नैनार** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 43 घ(5) के प्रावधानों की व्याख्या और जांच की और माना कि आरोप की प्रकृति एक महत्वपूर्ण कारक है, और साक्ष्य की प्रकृति भी जमानत के प्रश्न पर विचार करने में प्रासंगिक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **जहूर अहमद शाह वटाली** (पूर्वोक्त) के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप अधिनियम, 1967 के तहत जमानत आवेदनों में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था किः

> "जब 1967 के अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराधों की बात आती है, तो 1967 के अधिनियम की धारा 43 घ में निहित विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कुछ और ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसे 31 दिसंबर, 2008 से 2008 के अधिनियम 35 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है।

11. **थस्लीम**(पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 43 घ(5) के तहत, यदि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, तो न्यायालय जमानत देने से इनकार करने के लिए बाध्य है।

12. **संजय चंद्रा** (पूर्वोक्त) के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करना होगा और यह भी देखना होगा कि क्या तर्कपूर्ण कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

13. **अफजल खान उर्फ बाबू मुर्तुजाखान पठान**(पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि राज्य की सुरक्षा से जुड़े मामले में, जमानत को सामान्यतः निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

14. **अमरमणि त्रिपाठी**(पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सुस्थापित सिद्धांत अधिकथित किये थे:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

(ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता;

(iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और प्रतिष्ठा;

(vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना;

(vii) साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका; और

(viii) जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

15. **गुरविंदर सिंह**(पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय में, न्यायालय का यह विचार था कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया साजिश के एक हिस्से के रूप में अभियुक्त की मिलीभगत का संकेत देती है, क्योंकि वह जानबूझकर विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आतंकवादी

कृत्य के लिए तैयारी के कार्य को करने में सहायता कर रहा था और इस कारण से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन को खारिज रद्द कर दिया।

16. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभियोग–पत्र और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के अवलोकन, साथ ही अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी आईईडी विस्फोट, जिसके परिणामस्वरूप एक सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो गई थी, सहित आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के बड़े षड़यंत्र में सम्मिलिति था। अपीलार्थी का प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) के साथ संबंध, अपराध के निष्पादन के लिए आवश्यक रसद और अन्य सहायता प्रदान करने में उसकी कथित भूमिका के साथ–साथ षड़यंत्र की बैठकों में उसकी भागीदारी की पुष्टि संरक्षित साक्षियों के कथनो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43–घ (5) के अंतर्गत वैधानिक प्रतिबंध को देखते हुए, यह न्यायालयअभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है, जो इस स्तर पर, अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित करता है। केवल दीर्घ अवधि की निरुद्धता या सामाजिक–आर्थिक कठिनाई राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों से अंतर्वलित आरोपों की गंभीर और गुरुत्वपूर्ण प्रकृति से अधिक नहीं हो सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि विधिविरुद्ध क्रिया–

कलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, तो न्यायालय अपीलार्थी को जमानत नहीं देगा।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान विशेष न्यायालय, रायपुर द्वारा जमानत आवेदन को अस्वीकार करने वाला आक्षेपित आदेश तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और ऐसे मामलों में लागू कानून की उचित विवेचना को दर्शाता है। यह न्यायालय उक्त आदेश में कोई दुर्बलता, विकृति या अवैधता नहीं पाता है , जिससे अपीलीय अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

19. तदनुसार, यह दाण्डिक अपील **निरस्त की जाती है**। तथापि, यह न्यायालय अपेक्षा और विश्वास करता है कि यदि कोई विधिक बाधा नहीं है और अपीलार्थी को विचारण में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है तो विचारण न्यायालय इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार विचारण को शीघ्रता से समाप्त करने का गंभीर प्रयास करेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित करे।

सही/–
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

अमरदीप

शीर्ष टिप्पण

When an accused faces charges under special statutes for offences against the State, the grant of bail is ordinarily discouraged. Courts are obliged to exercise exceptional caution and a rigorous approach, weighing the seriousness of the allegations, the protection of State interests, and the statutory limitations on bail prescribed by the relevant special laws.

जब कोई अभियुक्त राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए विशेष कानूनों के तहत आरोपों का सामना करता है, तो जमानत देने को आम तौर पर हतोत्साहित किया जाता है। आरोपों की गंभीरता, राज्य के हितों की सुरक्षा, और संबंधित विशेष विधियों के तहत जमानत पर विहित विधिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों को बहुत ज़्यादा सावधानी और सख़्त रवैया अपनाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**